

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अप्रैल २०२० माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. श्री संजय कोठारी, भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) और श्री सुरेश एन. पटेल, आंध्र बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ, जिन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग में क्रमशः केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्त (वीसी) के रूप में नियुक्त किया गया था, ने क्रमशः 25.04.2020 और 29.04.2020 को अपने कार्यालयों का प्रभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें, अपने संबंधित कार्यालयों में प्रवेश या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, प्राप्त करने तक 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
2. श्री ब्रज राज शर्मा, भा.प्र.से0. (जेके: 84) को अधिसूचना सं. 24011/032018-स्था.(ख) दिनांक 24.04.2020 के माध्यम से उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात् 30.04.2020 से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है।
3. श्री राजीव कुमार, भा.प्र.से. (जेएच:84) (सेवानिवृत्त) को अधिसूचना सं. 44011/4(एस)/2018-स्था.(ख-II) दिनांक 01.05.2020 के माध्यम से तीन वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए दिनांक 30.04.2020 के अपराह्न से अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के रूप में नियुक्त किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या 44011/4(क)/2018-स्था. (ख-II) दिनांक 28.04.2020 के माध्यम से राष्ट्रपति के सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति के अधिसूचित होने के परिणामस्वरूप श्री के.डी. त्रिपाठी ने 24.04.2020 से अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के प्रभार को त्याग दिया।
5. कल्याण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तत्वावधान में केन्द्रीय भण्डार, एक कल्याणकारी परियोजना ने 2200 'आवश्यक किटों' का दान किया जिसमें अभावग्रस्त लोगों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं थीं। इसके अलावा, कोरोना वायरस के विरुद्ध देश के युद्ध में अपनी निःस्वार्थ सेवाओं के लिए प्रशंसा के रूप में सैकड़ों सैनिटरी किट्स पुलिस और चिकित्सा कर्मियों को दिए गए थे।
6. सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (सीएसओआई) ने COVID-19 के विरुद्ध लड़ाई को मजबूती प्रदान किए जाने हेतु PM-CARES फंड में 25 लाख रुपये का दान दिया।
7. गृह कल्याण केंद्र (जीकेके) ने COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए तब्लीगी जमात के लोगों के लिए संगरोध केंद्र के रूप में उपयोग किए जाने हेतु पेशवा रोड, समाज सदन को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। इसके अलावा, 02 समाज सदन अर्थात् लोधी रोड (तन्नगा स्टैंड) और एंड्रयूज गंज को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया, ताकि COVID-19 महामारी की स्थिति में पुलिस कर्मियों को समायोजित किया जा सके।

2. उपर्युक्त के अलावा, विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित निर्देश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए थे :-

- (i) का.ज्ञा. सं०. 11013/9/2014-स्था.(क.॥॥) दिनांक 01.04.2020 के तहत अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक कर्मचारियों का रोस्टर तैयार करते समय वित्तीय सेवाओं के विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों के विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों को छूट ।
- (ii) का.ज्ञा. सं०. 11013/9/2014-स्था.(क.॥॥) दिनांक 23.01.2020 के तहत कार्यालयों में भीड़ से बचने और सुरक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखने के संबंध में गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन ।
- (iii) का.ज्ञा. सं०. 11013/9/2014-स्था.(क.॥॥) दिनांक 20.04.2020 के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में विभागीय जलपानगृह (कैंटीन) को बंद करना ।
- (iv) का.ज्ञा. सं०. 11013/9/2014-स्था.(क.॥॥) दिनांक 29.04.2020 के तहत COVID-19 के प्रसारण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 'आरोग्य सेतु' ऐप का प्रभावी उपयोग ।